

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(3)न्याय/2020

जयपुर, दिनांक: 29-03-2023


**:: आज्ञा ::**

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2022-23 के रिक्त पदों पर पुनरावलोकन पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.03.2023 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित संयुक्त विधि परामर्शी का चयन योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-4 (37400-67000) GP No.-22 (8700) L-21 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र० स०	नाम अधिकारी (सर्व श्री/श्रीमती)	रिक्ति की तिथि	क्र० स०	नाम अधिकारी (सर्व श्री/श्रीमती)	रिक्ति की तिथि
1.	रामकृष्ण भूरिया, अजा	01.04.2022	7.	हरदयाल सिंह	03.11.2022
2.	लेखराज जाग्रत, अजा	01.04.2022	8.	छैल बिहारी अग्रवाल	03.11.2022
3.	महेन्द्र कुमार बिडियासर	01.04.2022	9.	हरिराम पुरोहित	03.11.2022
4.	सुलेखा शर्मा	01.08.2022	10.	आशा शर्मा	03.11.2022
5.	अशोक गुप्ता	03.11.2022	11.	विनोद कुमार जांगिड़	03.11.2022
6.	हरीश कुमार	03.11.2022	12.	उत्तम सिंह	01.01.2023

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.08.2022 द्वारा पूर्व में पदोन्नत कार्मिक सर्व श्री रामकृष्ण भूरिया, अजा, महेन्द्र कुमार बिडियासर, सुलेखा शर्मा, अशोक गुप्ता एवं हरीश कुमार को छोड़कर शेष सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

  
(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
(अनुराग कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2020

जयपुर, दिनांक: 29-03-2023


:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत संयुक्त विधि परामर्शी की वर्ष 2022-23 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.03.2023 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित उप विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-21 (8200) L-20 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि	क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	मोहर सिंह, अजा	01.04.2022	9.	नटवर लाल आचार्य	03.11.2022
2.	दुर्गा प्रसाद, अजा	01.04.2022	10.	राजेश कुमार गोस्वामी	03.11.2022
3.	विजय कुमार जैन	01.04.2022	11.	गजेन्द्र सिंह	03.11.2022
4.	धर्मेन्द्र दादवानी	01.04.2022	12.	सन्तोष कुमार पूनिया	03.11.2022
5.	सुरेश चन्द शर्मा	01.08.2022	13.	जितेन्द्र सिंह	03.11.2022
6.	महेश कुमार गोयल	19.09.2022	14.	डॉ. गौरी शंकर भार्गव	03.11.2022
7.	अमीरूल हसन गौरी	19.09.2022	15.	सुबान खान	03.11.2022
8.	गिरधारी लाल जाखड़	01.11.2022			

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.08.2022 द्वारा पूर्व में पदोन्नत कार्मिक सर्व श्री मोहर सिंह, अजा, विजय कुमार जैन, धर्मेन्द्र दादवानी, सुरेश चन्द शर्मा, महेश कुमार गोयल, अमीरूल हसन गौरी एवं गिरधारी लाल जाखड़ को छोड़कर शेष सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

  
(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
(आशुतोष कुमावत)  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(5)न्याय/2020

जयपुर, दिनांक: 29-03-2022


:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी की वर्ष 2022-23 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.03.2023 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें उप विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) L-18 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि	क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	रिक्ति की तिथि
1.	प्रदीप चौधरी	01.04.2022	9.	पवन चावला	19.09.2022
2.	सीमा माहेश्वरी	01.04.2022	10.	गजेन्द्र सिंह जाट	01.11.2022
3.	अजीत कुमार मरौठी	01.04.2022	11.	संग्राम करनावत	03.11.2022
4.	चांद कुमार पालीवाल	01.04.2022	12.	चन्द्रशेखर व्यास	03.11.2022
5.	ओम प्रकाश शर्मा	01.04.2022	13.	रणवीर सिंह शेखावत	03.11.2022
6.	अमर सिंह बगड़िया	01.04.2022	14.	रमेश चन्द पंवार	03.11.2022
7.	कंवरी लाल सोनी	01.08.2022	15.	महेन्द्र पाल सिंह	03.11.2022
8.	प्रताप सिंह राठौड़	19.09.2022	16.	अशोक कुमार टेलर	03.11.2022


इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.08.2022 द्वारा पूर्व में पदोन्नत कार्मिक सर्व श्री प्रदीप चौधरी, सीमा माहेश्वरी, अजीत कुमार मरौठी, चांद कुमार पालीवाल, ओम प्रकाश शर्मा, अमर सिंह बगड़िया, कंवरी लाल सोनी, प्रताप सिंह राठौड़, पवन चावला एवं गजेन्द्र सिंह जाट को छोड़कर शेष सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

  
(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
(आशु कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव